तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-10-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 2,3, 5 व 6 के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का जवाब पेश नही कर बहस करना चाहते है। हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी आइंदा 08-11-2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	
08-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण 1,4 व 8 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दोनो पक्षो के वकील उपस्थित। दोनो पक्षो की अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम समदडी स्टेशन के खसरा संख्या 615/255, 616/255 ,617/256 व 618/256 बाबत् रा.भू.अ. की धारा 111–128 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किया गया है विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 का प्रकरण अनवान संख्या 36/2024 श्री ठाकुरजी मन्दिर जरिये अनुयायी ओमप्रकाश बनाम गणेशसिंह विचाराधीन है। विधि की मंशा है कि वाद विचाराधीन रहते विवादित भूमि का रा.भू.अ. की धारा 111–128 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं चल सकती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि रा.भू.अ.की धारा 111–128 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में से विवादित भूमि खसरा संख्या 617/256 रकबा 1.9425 व खसरा संख्या 618/256 रकबा 0.0809 हैक्टयर भूमि की इस्तदुआ हटाते हुए उपरोक्त प्रकरण में खसरा संख्या 615 रकबा 5.3418 व खसरा संख्या 616/255 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि पर नेखम कायम करने आदेश फरमाया जावे। विवादित भूमि खसरा संख्या 615 रकबा 5.3418 व खसरा संख्या 616/255 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि के नेखम कायम करने बाबत विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की है। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा संख्या 615/255, 616/255 ,617/256 व 618/256 के उपरान्त पर खसरा संख्या 615/255 व 616/255 का ही नेखम कायम करवाने चाहते है। जिस बाबत विप्रार्थीगण वकील द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई । प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा संख्या 615/255 व 616/255 के रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:45 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी हुए
	लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी स्टेशन तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 615/255 व खसरा संख्या 616/255 रकबा 5.3418 व 0.2023 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2024 / 1141 दिनांक : 14.11.2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गणेशसिंह पुत्र माधाराम वगैराह		ग्राम पंचायत रेल्वे स्टेशन जरिये सरपंच वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 123 / 2023 दिनांक :– 08.11.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम समदडी स्टेशन तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 615 / 255 व खसरा संख्या 616 / 255 रकबा 5.3418 व 0.2023 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 /–प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2024 / 1142 दिनांक : 14.11.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी समदडी को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी गणेशसिंह पुत्र माधाराम जाति राजपुरोहित निवासी रेल्वे स्टेशन समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:45 IST
Reason: SelfAttested